

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/03690

जयपुर, दिनांक 09.09.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट न.	कार्मिक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	New IA-2018	श्री लोकेश अग्निहोत्री	मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	- NIC, Scientist B & Scientific Assistant - RPSC, ACF and Forest Range Officer
2	3441	श्रीमती मोनिका रुहेला	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक-धौद, सीकर	IIT Rookee, Scientific Officer Grade-II
3	New IA-2018	श्री मनीष चौधरी	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक-बाली, पाली	- SEBI Officer Grade A (Assistant Manager) - NIC, Scientist B
4	New IA-2018	श्री मनीष शर्मा	मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	RPSC, ACF and Forest Range Officer
5	New IA-2018	श्री लाल चन्द यादव	मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	RPSC, ACF and Forest Range Officer
6	New IA-2018	सुश्री/श्रीमती मनीषा मीना	मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	- IBPS, CRP RRB IX Officer Scale-I - RRB, NTPC
7	1226	श्री लव कुमार अवस्थी	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर	- RPSC, ACF and Forest Officer Gr.-I-2018 - UPSC Civil Services-2020
8	New IA-2018	श्री मोहित किरार	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	SSC CGL-2019
9	New IA-2018	श्री मनीष सोलंकी	राजस्व तहसील, जैसलमेर	NIC, Scientist B & Scientific Assistant

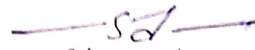
उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Confidential

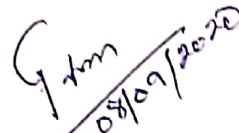
राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(6)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार नुहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—  —
(विद्येक कुमार)
विशेषाधिकारी (सू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


08/07/2020
प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)